Yogesh ji
13/12/18

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन
उपायुक्त (प्रशिक्षण, क्वालिटी, आर.ई.आई) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोन –2706069, 2705937
E-mail : rddrei@gmail.com

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/आरईआई/2018–19/ 9360 दिनांक 13/12/18

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

2. जिला शिक्षा अधिकारी
प्राशि/माशि समस्त जिले।

3. अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समसा, समस्त जिले।

4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त ब्लॉक।

विषय : शोध/सर्वे/कार्यालयी कार्य के संबंध में निर्देश।

प्राय यह देखने में आया है कि परिषद् मुख्यालय एवं विभाग के जिला और ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत अधिकारीगण बिना सक्षम स्वीकृति के कोई भी आदेश/निर्देश विद्यालयों अथवा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को जारी कर देते है। और ऐसे निर्देशों को पत्रावली पर भी नहीं लिया जाता अपितु सीधे ही पत्र हस्ताक्षरित कर प्रेषित कर दिये जाते है। इस विषय में समस्त अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है –

1. कोई भी आदेश अथवा निर्देश कार्यालयी प्रक्रिया अपनाते हुये सक्षम स्वीकृति से ही जारी किया जावें।
2. विभाग के साथ कार्यरत आरईआई पार्टनर अथवा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं या व्यक्तिगत रूप से किसी को भी विद्यालयों से डाटा एकत्र करने/शोध अध्ययन किये जाने/विद्यालयों में सर्वे किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की शैक्षिक या गैरशैक्षिक गतिविधि चलाये जाने हेतु निर्धारित सीमा में सक्षम अनुमोदन के बिना स्वीकृति जारी नहीं की जावें।
3. परिषद् मुख्यालय, शिक्षा निदेशालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा), आरएससीईआरटी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा ब्लॉक कार्यालय पर, कार्यरत सलाहकार (यूनिसेफ/आरईआई पार्टनर/एनजीओ/सेवा एजेंसी) किसी भी पत्रावली पर लिखित टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही अपनी ओर से पत्रावली संचालित करेंगे।
4. सभी नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकरण में पत्रावली संबंधित प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उचित माध्यम से प्रस्तुत की जावे।
5. सेवा एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कोई भी कार्मिक पत्रावलियों पर लिखित टिप्पणी नहीं करेंगे। अपितु स्वयं को आवंटित कार्य नियमानुसार संपादित करेंगे।
6. राजकीय कार्यालय में कार्यरत कोई भी सलाहकार, सेवा एजेंसी कार्मिक, कार्यालय संबंधी कोई भी डाटा, रिकॉर्ड, अथवा अन्य कोई सूचना बिना नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के किसी को भी प्रेषित नहीं करेंगे।

समस्त अधिकारीगण उक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। इस विषय में किसी प्रकार का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

www.rajteachers.com

13/12/18
(डॉ. राजेश शर्मा)
आयुक्त

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/आरईआई/2018–19/9361 दिनांक 13/12/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजि सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
4. समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. नियंत्रक वित्त, अधीक्षण अभियंता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त उपनिदेशक, सहा. निदेशक, सहायक अभियंता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र)
अति. राज्य परि. निदेशक